UPBG010033392026

**न्यायालय Adj F.T.C. II, Baghpat**

**पीठासीन अधिकारी–** (SMT. NEELU MAINWAL)**, (उ०प्र० न्यायिक सेवा ) – UP01763**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1132/2026

1. जुनैद आलम उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र सलीम, निवासी ग्राम कयामपुर, थाना व जिला बागपत
..... अभियुक्त।

***बनाम***

1. राज्य सरकार ..... अभियोजक।

वाद संख्या– VIII/14/DZU
धारा–22/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–दिल्ली जोन यूनिट, जनपद–बागपत।

**दिनांकः–14.07.2026**

1– प्रार्थी/अभियुक्त **जुनैद आलम** की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रथम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **मो० आरिफ** का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त का यह **प्रथम जमानत** प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– उभयपक्षों को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रस्तुत मामला एनसीबी अपराध संख्या VIII/14/DZU/2026 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली जोनल यूनिट द्वारा दिनांक 15.04.2026 को आरोपी जुनैद आलम और अमित कुमार जैन से संयुक्त कब्जे से पारसनाथ मार्बल एंड टाईल्स शॉप, नहर का पुलिया के पास, सराय से बड़ौत रोड, जिला बागपत में व्यावसायिक मात्रा में मनोरोगी पदार्थों, अर्थात् 47,760 ट्रामाडोल कैप्सूल और 60,000 अल्प्राजोलम टैबलेट की बरामदगी के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8/22/29 के तहत दर्ज किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे तथ्य एवं विधि के विपरीत वर्तमान मुकदमे में झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन के स्वयं के कथानक एवं पंचनामा के अनुसार कथित Tramadol Capsules एवं Alprazolam Tablets की बरामदगी उसके व सह–अभियुक्तगण के शरीर, जेब, वस्त्र, हांथ अथवा व्यक्तिगत कब्जे से प्रदर्शित नहीं की गई है। मात्र किसी स्थान पर उपस्थित होना अथवा किसी वस्तु

**दिनांक– 14.07.2026**

**(नीलू मैनवाल)**
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं०–02
बागपत

Digitally signed by NEELU MAINWAL
Date: 2026.07.14 16:18:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के समीप होना स्वतः उस वस्तु पर विधिक नियंत्रण, स्वामित्व अथवा सचेत कस्बा स्थापित नहीं करता। अभियोजन द्वारा ना तो कथित वाहन संख्या नोट की गई, ना ही वाहन स्वामी का पता लगाया गया तथा ना ही कथित वाहन की तकनीकि विवेचना की गई। कथित घटना दिनांक 15.04.2026 को शाम के समय लगभग 06:30 बजे की दर्शाई गयी है जबकि उसके पक्ष में उपलब्ध एक स्वतंत्र साक्षी निजी सी०सी०टी०वी० फुटेज की विडियो रिकार्डिंग में वह उस दिन शाम समय 06:18 बजे यानि मात्र 12 मिनट पहले अपनी स्कूटी से एक गली से गुजरते हुए दिखाई देता है। प्रार्थी/अभियुक्त से कथित बरामदगी अत्यधिक मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की दर्शाई गई है परंतु उसके कब्जे अथवा उसके उपयोग के किसी वाहन, परिवहन साधन एवं अन्य माध्यम को ना तो बरामद किया गया और ना ही जब्त किया गया है। दिनांक 20.04.2026 को पुलिस अभिरक्षा अवधिक पूर्ण होने के उपरांत जब प्रार्थी/अभियुक्त को मा० न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया तब मा० न्यायालय द्वारा स्वयं अपने आदेश में अंकित किया गया कि उसके बांये हांथ पर चोट दिखाई दे रही थी, कट के निशान विद्यमान थे तथा हल्का रक्त स्त्राव परिलक्षित हो रहा था। उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि पुलिस अभिरक्षा में उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना की गई। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वह पूर्व में किसी भी प्रकार के आपराधिक मुकदमे में ना तो अभियुक्त रहा है ना ही किसी न्यायालय द्वारा कभी दोषसिद्ध ठहराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.04.2026 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त बागपत का मूल निवासी है जिससे उसके बाद जमानत फरार होने एवं साक्ष्य को नष्ट करने का कोई अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थना की गई है कि दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये जाए।

6– अभियोजन द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की मांग की है।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त जुनैद आलम व सह–अभियुक्त अमित कुमार जैन से संयुक्त कब्जे से **47,760 ट्रामाडोल कैप्सूल** और **60,000 अल्प्राजोलम टैबलेट** की बरामदगी होने का आरोप लगाया गया है। **प्रस्तुत मामले में बरामद किये गये मनोरोगी पदार्थ व्यवसायिक मात्रा में हैं।** प्रस्तुत मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। उपरोक्त के विरुद्ध विवेचना में प्रबल साक्ष्य उपलब्ध हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी संकलित किये गये हैं। अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अभियोजन अनुसार निषिद्ध पदार्थ की आपूर्ति की श्रृंखला सी०डी०आर० विश्लेषण, व्हाट्सएप रिकॉर्ड व वॉइस रिकॉर्डिंग के साक्ष्य से खोजी गई है एवं उपरोक्त के सापेक्ष अग्रेतर विवेचना लंबित है। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में किसी बड़े षड़यंत्र या नेटवर्क का खुलासा अभियुक्त के माध्यम से किया जा सकता है एवं इस स्तर पर उपरोक्त को जमानत दिये जाने पर अभियुक्त ना केवल संबंधित साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है बल्कि इससे अग्रेतर विवेचना भी प्रभावित होगी।

8. **स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37** के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिये दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त को जमानत या मुचलके पर तभी अवमुक्त किया जाएगा जब–

***1. लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिये किये गये आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है। और***

**दिनांक– 14.07.2026**

**(नीलू मैनवाल)**
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं०–02
बागपत

***2. जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की संभावना नहीं है।***

9. जैसा कि सम्मानित विधि व्यवस्थाओं ***मेघालय बनाम लालरिंटलुआंगा सैलो (2024) 15 SCC 36*** में माननीय न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया है कि एन०डी०पी०एस० अधिनियम की धारा 37 पर विचार किये बिना जमानत देना अनुचित है।

10. इसी प्रकार विधि व्यवस्था ***यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम अजय कुमार सिंह 2023 SCC Online SC 364*** में माननीय न्यायालय द्वारा धारा 37 में निर्धारित दोहरी शर्तों की चर्चा की गई जो वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराध के आरोपी व्यक्ति हो, जमानत पर रिहा करने के लिये आवश्यक है।

11. वहीं विधि व्यवस्था ***यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम नियाजुद्दीन एस०के० (2018) 13 SCC 738*** में माननीय न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया है कि जब तक यह साबित ना हो जाए कि आरोपी किसी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, तब तक उसे रिहा नहीं किया जा सकता।

12. प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त **धारा 37** के तहत दोहरी शर्तों के कानूनी मापदण्डों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्ण रूप से विफल है। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आधार विदित नहीं होता कि आरोपी के द्वारा कथित अपराध नहीं किया गया है। ना ही ऐसा कोई आधार है कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा अन्य कोई अपराध करने की संभावना ना हो। जहां तक सचेत कब्जे का प्रश्न है तो अभियुक्त की गिरफ्तारी घटनास्थल से की गई है जहां पर अभियुक्त निषिद्ध पदार्थ के डिब्बो की गिनती करता हुआ पाया गया था।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत प्रदत्त किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त **जुनैद आलम पुत्र सलीम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को उक्त आदेश की प्रति नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाए।

**दिनाँक : 14.07.2026**

**(नीलू मैनवाल)**
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं०–02
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)
बागपत